

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

देशीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
देशीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
जन कल्याण परिषद बालिका इण्टर कालेज
विजयीपुर फतेहपुर

पत्रांक मा0शि0प0/क्षे0कग0प0/मान्यता/

दिनांक

विषय सीधे (कक्षा-8 व 10)/(कक्षा-6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सहायति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या: 1194/15-7-2019-1(25)/2019 शिक्षा-7 अनुभाग दिनांक 11.07.2019 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (सशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था जन कल्याण परिषद बालिका इण्टर कालेज विजयीपुर फतेहपुर को ग्रामिक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2021 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (एन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है -

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, राज-राज्या, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिजत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्ता मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) राज-राज्या की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक
फतेहपुर

कृ०प०उ०

2

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) सख्या द्वारा घोषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सुधन प्राप्त पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर ली जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सख्या के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
 - (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची जन्की शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याह्वित कर ली जायेगी।
 - (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
 - (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में घोषित विशेष अपील सख्या 25/2006 में प्रदत्त व अन्य बनाम 10950 राज्य व अन्य तथा सख्या 05 अन्य नियम अपील में मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान्य उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले शिवमरी-शिवमरी-शिवमरी-शिवमरी में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी- इस पत्र में उल्लिखित सम्स्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(घ) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

दिनांक 12/07/2019

पृष्ठांकन सं० मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/633-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर।
- 2- सम्भागीय समुदाय शिक्षा निदेशक, प्रयागराज।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।
- 5- उप सचिव, (सिस्टम सेल) मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

R-2
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।